

24-3-25

पत्रवाली पेश हुई जहाँ अधिकतर अनुपस्थिति

प्रकरण का मूलबाड 09R8 के तहत अदम हाजरी  
अदम पैरवी में खारिज हो चुका है जिससे इस प्रकरण  
में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहनी है।

अतः प्रार्थना पर कादेश 9निपद8 के तहत अदम  
हाजरी- अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय से-  
इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौजल शुक्रा हेका नम्बर  
से कम हो।



(सोबिता कुमारी)

IAS